B. A. Part - I
Paper - II
Macro Economics
Topic - अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(International Monetary Fund, IMF)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना
(Setting of International Monetary Fund, IMF)

ब्रेटनवुडस सम्मेलन (Brettonwoods Conference) में काफी विचार - विमर्श के बाद एक योजना स्वीकार की गयी, जो, ब्रेटनवुडस समझौते (Brettonwoods Agreement) के नाम से जानी जाती है। इसके अन्तर्गत तय हुआ कि निम्नलिखित दो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाये:

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा - कोष (International Monetary Fund, IMF);

(2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना 27 दिसम्बर, 1945 को हुई। इस संस्था ने अपना कार्य 1 मार्च, 1947 से प्रारम्भ किया। यद्यपि आरम्भ में इसकी सदस्यों की संख्या केवल 30 थी, परन्तु सदस्यों देशों की

Scanned by TapScanner

संख्या जून 1991 तक 155 हो चुकी थी। साम्यवादी देश प्रारम्भ से ही मुद्रा-कोष (IMF) से अलग रहे थे, परन्तु अप्रैल 1980 से साम्यवादी चीन ने IMF की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। वर्तमान अंतिम अपडेट अनुसार वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में सदस्यों देशों की संख्या 190 है। अंतिम देश अंडोरा की रियासत (Principality of Andora) October 16, 2020 में IMF की सदस्य बना है। भारत IMF के स्थायी सदस्य रहे है।

प्रो. हेम (G.N. Halm) ने मुद्रा-कोष की चर्चा करते हुए कहा है, IMF 'केन्द्रीय बैंकों का बैंक' (The bank of Central Banks) तथा विश्व की मौद्रिक व्यवस्था का प्रधान (the capstone in the world's monetary ~~fund~~ System) माना है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र का केन्द्रीय बैंक अपने देश के वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य बैंकों के नकद-कोषों की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों की मौद्रिक एवं आर्थिक नीतियों में समायोजन कर सन्तुलन लाने की प्रयास करता है। यह सब होते हुए भी यह समझ लेना आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक और IMF की प्रकृति में कुछ अंतर है। मुद्रा-

कोष (IMF) की स्थापना मौद्रिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता एंव पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीयता के बीच एक समझौता मात्र है।

मुद्रा कोष की उद्देश्य (Objectives of IMF)

मुद्रा - कोष के समझौता - पत्र (Articales of Agreement) की धारा 1 के अनुसार कोष (IMF) के निम्नलिखित 6 उद्देश्य है :

(1) एक स्थायी मौद्रिक संस्था के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग (International monetory co-operation) को प्रोत्साहन देना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार एंव सन्तुलित विकास (expansion and balanced growth of internation trade) के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करना और इस प्रकार राष्ट्रों में रोजगार के उच्च स्तर को स्थापित करना एंव उसे बनाये रखना।

(3) सदस्य राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन (competitive exchange depreciation) को रोककर विनिमय स्थायित्व (exchange

Scanned by TapScanner

Stability) को प्रोत्साहित करना तथा एक नियमित विनिमय व्यवस्था को बनाये रखना।

(4) चालू व्यवसायों के लिए बहुपक्षीय भुगतान पद्धति (multilateral System of Payments) की स्थापना कर सदस्य राष्ट्रों के मध्य विनिमय सम्भव करना तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों (exchange restrictions) को समाप्त करना।

(5) समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ सदस्य राष्ट्रों के साधन उपलब्ध कर उसमें विश्वास उत्पन्न करना और इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उन्नति को नष्ट करने वाले उपाय अपनाये बिना भुगतान-संतुलन के गलत समायोजन को सुधारने में सहायता देना।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के असन्तुलन की अवधि एवं उसकी मात्रा (duration and degree of disequilibrium) को कम करना।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना का आधारभूत उद्देश्य यह था कि सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन को ठीक करने के लिए विनिमय-निर्यंत्रण अथवा प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय-ह्रास की अपेक्षा यह अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन दे सके। प्रतिकूल भुगतान

Scanned by TapScanner

सन्तुलन की स्थिति में मुद्रा-कोष केवल अस्थायी हल प्रदान करता है। इसका उद्देश्य देशों के लिए एक स्थायी ऋण देने वाली संस्था के रूप में कार्य करना नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (IMF) का उद्देश्य देशों के लिए केवल बहुपक्षी भुगतान पद्धति के द्वारा सदस्य देशों के बीच विनिमय को सरल बनाना है, बल्कि व्यावसायिक उच्चावचनों तथा अस्थिरताओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों को भी कम करना है। सदस्य देशों में उचित आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों के निर्माण तथा संचालन को प्रोत्साहन देकर मुद्रा कोष एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करता है जो सभी के हित में है।

इस प्रकार, मुद्रा-कोष की स्थापना से उपर्युक्त उद्देश्यों के सहारे एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की नींव पड़ी जो अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के माध्यम से पर्याप्त लचीलापन (Sufficient flexibility) बनाये रखने के साथ-साथ मौद्रिक अनुशासन के उन सिद्धान्तों पर आधारित है जिसके बिना कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था समुचित तरीके से नहीं चल सकती है।

Munmun Choudhary
Asst. prof.
Department of Economics
A. S. College, Bikramganj.

Scanned by TapScanner